पू.उ.प्र.अं./41/एसएलबीसी/जून 2015/47।

30.10.2015

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2015 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त जून 2015 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 04.09.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति से हमें अवगत कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक के एजेण्डा में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(संजय कुमार वर्मा)
सहायक महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, 'बड़ौदा हाउस', वी-23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन / Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स / Fax:0522-6677726, 6677732
ई-मेल / E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2015 तिमाही की दिनांक 04.09.2015 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की जून' 2015 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 04.09.2015 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री रंजन धवन, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन; श्री रजनीश गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुपालन), उ.प्र. शासन; डॉ आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन निदेशक (यू.पी.एस.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन; सुश्री वी हेकाली झिमोमी, आई.ए.एस., सचिव, ग्राम्य विकास, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री जोगी मेघनाथ, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री एम. नागराज, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी; वित्त विकास निगम (समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार); श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), जिन्होने पूर्व महाप्रबन्धक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) श्री निर्मेष कुमार के सेवानिवृत्ति के उपरांत पदभार ग्रहण किया है, ने उनके उत्कृष्ट सेवाओं का उल्लेख करते हुए, श्री रंजन धवन, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. शासन; श्री रजनीश गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुपालन), उ.प्र. शासन; डॉ आदर्श सिंह, आई.ए.एस., मिशन निदेशक (यू.पी.एस.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन; सुश्री वी हेकाली झिमोमी, आई.ए.एस., सचिव, ग्राम्य विकास, उ.प्र. शासन; श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री जोगी मेघनाथ, महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं श्री ए. के. पाण्डा, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; श्री एम. नागराज, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी; वित्त विकास निगम (समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार); श्री गौतम सेन गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डाला :

1) रक्षाबन्धन के पर्व पर केन्द्र सरकार द्वारा "सुरक्षा बन्धन योजना" का आगाज़ किया गया जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा (Social Security) योजनाओं – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लाभार्थियों को आने वाले वर्षों में निश्चित प्रीमियम भुगतान की सुलभ उपलब्धता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक कुल -68745- मामलों में enrollments सुनिश्चित करते हुए लगभग -20500- अन्य नये मामलों में यह कार्यवाही बैंको द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

2) यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा क्षेत्र हेतु तैयार तीनों योजनाओं के अंतर्गत बैंको द्वारा कुल -1,37,67,458- प्रदेशवासियों को आच्छादित किया गया है। (PMJJBY -3435036; PMSBY-10274105; APY-58317) सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों हेतु सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं।

3) लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (Small and Micro Enterprises) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" (PMMY) की शुरुआत भी की गयी है। दिनांक 08.04.2015 से इस वर्ग को प्रदान किये गये ऋणों को शिशु, किशोर एवं तरुण श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु मुद्रा योजनान्तर्गत सभी बैंको द्वारा कुल रु 7321.61 करोड़ का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु तय किया गया है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नवीन दिशानिर्देशों के अंतर्गत 25.09.2015 से एक माह का विशेष अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है जिसमें "शिशु" श्रेणी के ऋण प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान करनी है।

4) राष्ट्रीय मानकों के सापेक्ष प्रदेश में कम ऋण जमानुपात निश्चय ही चिंता का विषय है जिसमें बैंको द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे है। विगत मार्च 2011 से -4- वर्षों की अवधि में प्रदेश में ऋण जमानुपात में 6 % से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी है तथा जून 2015 में यह 53.66% के स्तर पर आ गया है। मैं सभी स्टेकहोल्डर्स से इसमें व्यापक सुधार एवं वृद्धि हेतु सहयोग का आह्वान करना चाहूँगा।

5) बकाया बैंक ऋणो की वसूली में अपेक्षित सुधार हेतु प्रदेश शासन से हमने अनुश्रवण किया है। हाल ही में सम्पन्न विभिन्न बैठको के दौरान प्रदेश शासन के उच्चाधिकारियों द्वारा इसमें सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस सन्दर्भ में बैंको द्वारा दर्ज बड़ी धनराशि के वसूली प्रमाण पत्रों में बकाया वसूली हेतु प्रभावी निर्देश जारी किये जायें। इस हेतु रू 1.00 लाख से अधिक धनराशि के वसूली प्रमाण पत्रों में (@ 50 वसूली प्रमाण पत्र प्रति जनपद) से इस कार्य की शुरूआत की जा सकती है। निश्चय ही शासन की इस पहल से प्रदेश में बकाया ऋण वसूली हेतु एक अच्छा माहौल तैयार हो सकेगा व बैंको द्वारा ऋण प्रवाह हेतु किये जा रहे प्रयासों को गति प्रदान की जा सकेगी।

6) इसी क्रम में दुग्ध विकास विभाग, उ. प्र. शासन द्वारा कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माईक्रो कामधेनु योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रदेश में लागू "कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजनाओं" के अंतर्गत बैंकों द्वारा क्रमशः 227 एवं 1223 यूनिट्स को ऋण स्वीकृति प्रदान कर डेयरी उद्योग को बढावा देने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इन प्रयासो से प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 2.56 लाख लिटर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि दर्ज हुई है।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री प्रभात अग्रवाल, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभागों, बैंको एव अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित सुसंगत आंकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियों व राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा लागू योजनाओं की प्रगति को बेहतर रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री रंजन धवन, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया एवं विस्तृत चर्चा से पूर्व कुछ राष्ट्रीय/ वैश्विक महत्व के मुद्दो पर चर्चा की।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन मे उन्होने निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया –

- जहाँ तक घरेलू अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि धीरे- धीरे परिलक्षित होने लगी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर में क्रमशः सुधार हो रहा है उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार क्रमशः प्रदर्शित हो रहा है क्योंकि व्यवसाय में आम जन का विश्वास बढ रहा है और देश के सकल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2014-15 के 7.2% के सापेक्ष 2015-16 में कुल 7.6% होने की सम्भावना है। चालू

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० अंचल कार्यालय (पू०उ०प्र०) ZONAL OFF. (E.UP ZONE) LKO. लखनऊ

वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कर एवं सब्सिडी सहित कुल 1.7% की मूल्य वृद्धि परिलक्षित होने की सम्भावना है।

- एसौचेम के अध्ययन के अनुसार उ.प्र. में 2004-2005 से 2013-14 अवधि में 6.7% की दर से वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी है। इस आधार पर इस वृद्धि ने समान अवधि के 4.6% की राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि की दर को पार कर लिया है।
  विश्व बैंक की हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष -5- उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी स्थान है जिसकी 2012-13 में राष्ट्रीय उत्पादन उपलब्धि 8.30% रही है।

- जहाँ तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वर्ष 2015 के प्रथम तिमाही में उत्तरी अमेरिका में उत्पादन मे कमी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ा है। चीन में भी वृद्धि के लिए संघर्ष की स्थिति बनी हुई है।

- मार्च 2015 से जून 2015 की अवधि के दौरान प्रदेश में -101- नयी बैंक शाखाएँ खोली गयी। इस प्रकार, प्रदेश में कुल बैंको की संख्या -17211- हो गयी जिनका प्रदेश के विकास में मुख्य योगदान रहा। जहाँ तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं इसके उपक्षेत्रों के स्तर में उपलब्धियों का आकलन किया जाये तो प्रदेश में इस क्षेत्र में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको के सम्पूर्ण अग्रिम का 56.38% रहा है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है। कृषि एवं दुर्बल आय वर्ग को प्रदत्त अग्रिम का स्तर क्रमश: 28.12% एवं 17.57% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक स्तर 18% एवं 10% से अधिक हैं। इस दिशा में बैंको द्वारा किये जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।

- वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत -3- नयी योजनाएँ – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY); प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) लागू की गयी है जिनमें क्रमश: 34.35 लाख; 102.74 लाख और 0.58 लाख नामांकन किये गये। सभी योजनाओं का विभिन्न विज्ञापन माध्यमों, टाऊन हाल मीटिंग, कैम्प्स आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है।

  इसी क्रम में सुरक्षा बन्धन योजना की -3- मुख्य घटकों – सुरक्षा जमा योजना (₹201/-); जीवन सुरक्षा जमा योजना (₹5001/-) और जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक (₹351/-) का व्यापक प्रसार बैंको द्वारा किया जा रहा है जिसका लाभ इन योजनाओं के लाभार्थियों को प्राप्त हो सके। वित्तीय साक्षरता हमारे लिए व्यापार का एक सुअवसर है अत: समय की आवश्यकता है कि हम अपना ध्यान वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में लगायें।

- वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2015-16 के अंतर्गत प्रदत्त वार्षिक लक्ष्य रू. 136356.88 करोड़ के सापेक्ष त्रैमासिक वितरण रू 27884.12 करोड़ रहा है जो 20.45% की उपलब्धि प्रदर्शित करता है जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष रू.3535.04 करोड़ की बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करता है। कृषि, एस.एम.ई. एवं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्धि प्रदत्त लक्ष्यों के सापेक्ष क्रमश: 19%, 31.78% एवं 16.57% रही है।

- फसल बीमा योजना (MNAIS & WBCIS) के अंतर्गत विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा रबी फसल 2014-15 की अवधि में कुल 10.31 लाख कृषकों को आच्छादित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित बीमा कम्पनियों द्वारा समस्त कृषकों को योजना के अंतर्गत आच्छादित किये जाने एवं सभी पात्र कृषकों के दावों के निस्तारण की गहन समीक्षा की जा रही है। गत 21.08.2015 को भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राकृतिक आपदा के मामलों में जहाँ किसानों की फसलों की क्षति 33% या उससे अधिक परंतु 50% तक हुई है, से सम्बन्धित निर्देश निर्गत किये है जिनके अनुरूप बैंको के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. (E.UP ZONE) LKO.

- जून 2015 में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 53.66% के स्तर पर दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की समान अवधि, जून 2014 के स्तर 53.23% से 0.43% वृद्धि प्रदर्शित करती है। मार्च 2015 के 55.09% के स्तर से जून 2015 के आंकड़े 1.43% की गिरावट प्रदर्शित करते है। ऑकड़ो के विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि मार्च 2015 के स्तर से CDR में जो गिरावट आयी है वह भारतीय स्टेट बैंक व कुछ अन्य बैंको के अग्रिम प्रभाग में रू. 9200/- करोड़ की कमी के कारण आयी है। बैंको के अग्रिम राशि में गिरावट का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि लाभार्थियों द्वारा स्वीकृत ऋण सीमा का पूरा उपयोग इस अवधि में नही किया गया है।

- कुछ अन्य मुख्य योजनाएँ जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM); राष्ट्रीय शहरी आजीविका पेंशन (NULM); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) ; मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY); कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना; विशेष समन्वित योजना (SCP) आदि प्रमुख है जिनको समाज के विभिन्न वर्गो हेतु आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिए तैयार किया गया था, को पूरी तन्मयता से प्रदेश मे लागू करने की आवश्यकता है।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस.एल.बी.सी. को निर्देशित किया गया है कि शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के प्रदत्त ऋण के सापेक्ष वितरण में 15% व 20% की वृद्धि करते हुए क्रमशः भौतिक एवं वितीय लक्ष्यों का निर्धारण चालू वित्तीय वर्ष हेतु किया जाए। उल्लेखनीय है कि एस.एल.बी.सी. द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवंटित लक्ष्यों से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दिया गया है।

- कृषि एवं प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत समग्र रूप से बैंक ऋणों की वसूली क्रमशः 63.54% एवं 65.52% के स्तर पर है। जो पिछले वर्ष की समान अवधि के क्रमशः 54.90% एवं 53.92% के स्तर से बढ़ कर है। जून 2015 में वाणिज्यिक बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंको के गैर निष्पादक आस्तियों का प्रतिशत स्तर क्रमशः 4.34%; 9.10% और 11.18% रहा है। जो विगत वर्ष जून 2014 के क्रमशः 5.32%; 13.20% और 6.35% के स्तर से गिरावट प्रदर्शित करती है। प्रदेश के सभी जनपदों में दर्ज कुल -858460- वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खातों के सापेक्ष वर्तमान वितीय वर्ष की प्रथम तिमाही में कुल वसूली रू. 114.23 करोड़ हुई है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री रंजन धवन ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए दोहराया कि सभी बैंकर्स प्रदेश सरकार; वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें और आवंटित लक्ष्यों को पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करें।

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय ने अपने सम्बोधन में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रति बैंक शाखा आबादी कवरेज (3000 बैंक शाखाओं की स्थापना) के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु एस.एल.बी.सी. को बधाई दी एवं निम्न बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये:-

- प्रदेश में कम ऋण जमा अनुपात सबसे बड़ी समस्या है। पूर्व में प्रदेश में सी.डी. अनुपात -32%- के लगभग हुआ करता था जो अब बढ कर लगभग -53%- हो चुका है व इसके लिए सभी बैंकर्स बधाई के पात्र हैं।

- इसी क्रम में उन्होंने आगामी 10.09.2015 को मुम्बई में होने वाले व्यापारिक सम्मेलन का जिक्र किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. सरकार करेंगे। इस सम्मेलन में उ.प्र. में होने वाले निवेश हेतु अग्रिम उपलब्ध कराने के लिये चर्चा की जायेगी जिससे प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो सके।

- प्रदेश में उपलब्ध अग्रिम की रीसाइक्लिंग पर भी विचार करना होगा और गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। इसी क्रम में आम जन से धनराशि की वसूली हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन के स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही सरफेशी एक्ट के तहत नीलाम हुई सम्पतियों के भौतिक आधिपत्य (Physical Possession) हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा बैंको को सहयोग करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

श्री रजनीश गुप्ता, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव (पशुपालन), उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में प्रदेश सरकार की -3- प्रमुख योजनाओं यथा कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना तथा कुक्कुट पालन विकास योजना के क्रियांवयन में महसूस की जा रही समस्याओं तथा उनके निराकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में लागू की गयी यह तीनों योजनाएँ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाए हैं तथा बैंको द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत अच्छा कार्य किया गया है। साथ ही साथ इस दिशा में और बेहतर कार्य किये जाने की सम्भावनाएं व्याप्त है। उन्होंने डेयरी विकास हेतु सरकार द्वारा लागू नवीन योजना – माइक्रो कामधेनु योजना का उल्लेख करते हुए इस नवीन योजना की विशेषताओं से अवगत कराया।
निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए सभी बैंकों से वांछित सहयोग की अपेक्षा की:-

1. शाखाओं को प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण तथा आवेदन पत्र निरस्त/वापस करने की स्थिति में इसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना।

2. स्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष प्रतिभूति/सम्पार्श्विक सम्पत्ति बन्धन हेतु नियमानुसार कार्यवाही।

3. जनपद स्तर पर बैंकर्स एवं नोडल एजेंसी के बीच बेहतर समंवय

श्रीमती सुप्रिया पटनायक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला –

प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य निष्पादन हेतु समस्त बैंकर्स; समंवयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) एवं राज्य सरकार बधाई के पात्र हैं जिनके सघन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में विभिन्न मानकों के अंतर्गत विशेष उपलब्धि हासिल हो सकी है।

प्रदेश के ऋण जमानुपात में वृद्धि की सम्भावनाओं एवं अवसर हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा निकट भविष्य में मुम्बई में प्रस्तावित निवेशक कंक्लेव निश्चय ही एक सराहनीय प्रयास है जिसके लिये प्रदेश शासन बधाई के पात्र हैं।

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सघन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन प्रस्तावित है जिसमें बैंकर्स की सक्रीय सहभागिता आवश्यक है। मुद्रा योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।